कार्यालय नगर परिषद, सीतामढ़ी

पत्रांक–............।

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना।

सीतामढ़ी, दिनांक–......................

विषय :– सीतामढ़ी नगर परिषद को अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–672/2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार, बिहार पटना के ज्ञापांक–114716/401, दिनांक–30.01.2018 द्वारा प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–672/2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

यह अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक–27.02.2019 के अन्यान्य विषय द्वारा अनुमोदित है।

अनुलग्नक – यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

ज्ञापांक–363, दिनांक–1.06.19।

प्रतिलिपि :– सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–719, दिनांक–29.05.2019 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

अंकेक्षण प्रतिवेदन – 672/2017–18

	नगर परिषद द्वारा अनुपालन	अभ्युक्ति
कंडिका सं0–01	प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्धसरकारी पत्र सं0– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है। भवन निर्माण संबंधी नक्शा स्वीकृति के समय लागत मुल्य का 1 प्रतिशत श्रम सेस जमा करने के बिन्दु पर संबंधित व्यक्ति द्वारा आपत्ति जताई जाती है कि वे राशि की उपलब्धता के आधार पर खण्ड–खण्ड कर भवन निर्माण करायेगे। देखा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दो–तीन मंजिल का नक्शा एक बार स्वीकृत कराया जाता है तत समय उसका लागत मूल्य जो होता है। उसी भवन को दो तीन बार में निर्माण कराया जाये तो उसका लागत मुल्य बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि नक्शा स्वीकृत कराने के पश्चात दो–दो, तीन–तीन वर्षो तक भवन निर्माण का कार्य नही कराया जाता है। ऐसी स्थिती में संबंधित व्यक्ति द्वारा 1 प्रतिशत श्रम सेस की राशि जमा कराने के संबंध में मार्ग दर्शन देना चाहेगें। फिर भी अंकेक्षण द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संबंधित कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि नक्शा स्वीकृति के समय 1 प्रतिशत श्रम सेस जमा कराना सुनिश्चत करें। दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्सचर–01 दृष्टव्य। अतः उठायी गई आपत्ति को समाप्त करने की कृपा की जाय।	
कंडिका सं0–02	सीतामढ़ी नगर परिषद द्वारा छोटी–छोटी विभागीय योजनाओं को छोड़ कर शेष सभी योजनाओं पर श्रम सेस की कटौती की गई है। अंकेक्षण द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में छोटी–छोटी विभागीय योजनाओं पर भी श्रम सेस की कटौती प्रारम्भ कर दी गई है। जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। सुलभ प्रसंग हेतु श्रम सेस की कटौती संबंधी एनेक्सचर–02 दृष्टव्य। अतः उठायी गई आपत्ति को समाप्त करने की कृपा की जाय।	
कंडिका सं0–03	सीतामढ़ी नगर परिषद द्वारा भवन निर्माण अनुमति संबंधी नक्सा स्वीकृत करने के समय अंकेक्षक द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा कराने हेतु संबंधित कर्मचारी को निदेश दिया गया है। एनेक्सचर–03 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–04	सीतामढ़ी नगर परिषद में सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त 4 कर्मियों को वेतन भुगतान हेतु बुडको को दिये गये 10,00,000/–रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट सं0–796707, दिनांक–19.02.2016 की राशि बुडको द्वारा ससमय निकासी नही किये जाने के कारण वह ड्रॉफ्ट व्ययगत हो गया है। बुडको द्वारा उक्त ड्रॉफ्ट को नगर परिषद सीतामढ़ी को पुर्नजीवित करने हेतु भेजा गया है। उक्त ड्रॉफ्ट की राशि नगर परिषद खाते में जमा करायी जा रही है। बुडको को भूगतान नही की जायगी। अतः आपत्ति को समाप्त करने की कृपा की जाय। एतद संबंधी दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्सचर–04 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–05	भाड़े पर रखे गये वाहन के किराये की राशि से आय कर की कटौती जानकारी के अभाव में नही की जा सकी है। अब जो भी वाहन किराये पर रखा जायेगा उसके किराये से आय कर की कटौती की जायेगी। एतद संबंधी दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्सचर–05 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–06	निबंधन शुल्क की राशि 1,41,675/– रू0 स्टाम्प शूल्क की राशि–1,88,900/– रू0 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जा रहा है। राशि जमा होते ही। संबंधित चालान अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायगा एवं अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। (एनेक्चर–5A दृष्टव्य)	
कंडिका सं0–07	लैपटॉप/टैबलेट एवं फर्निचर का क्रय से संबंधित कैशमेमो के वैट की राशि जमा से संबंधित चालान/प्रमाण–पत्र संबंधित विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराने हेतु उन्हे पत्र दिया गया है। जिसकी छाया प्रति एनेक्चर–06 दृष्टव्य है। प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।	
कंडिका सं0–08	नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों की कमी और कार्यो की अधिकता के कारण व्यापार अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। उपलब्ध कर्मचारियों से ही व्यापार अनुज्ञप्ति के कार्यो में प्रगति लाने को लिए प्रयास किया जा रहा है। लगभग 400 व्यवसायियों को व्यापार अनुज्ञप्ति लेने हेतु	

	सूचना दी गई है। आने वाले दिनों में व्यापार अनुज्ञप्ति कार्य में प्रगति लायी जायगी। इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी को दी गई आदेश, व्यवसायियों को दी गई सूचना एवं वसूली कार्य में लायी गई प्रगति से संबंधित पुस्तिका की छाया प्रति एनेक्सचर–07 एवं 08 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–09	आठ (8) योजनओं के क्रियान्वयन हेतु अभिकर्त्ता को दी गई अग्रिम राशि में क्रमशः 21/2015–16 में अग्रिम राशि–3,75,000/– दिनांक–19.08.2017 को सामंजन कर लिया गया है, योजना संख्या–15/2015–16 में अग्रिम राशि–1,15,000/– दिनांक–05.05.2018 को सामंजन कर लिया गया है, योजना सं0–01/2016–17 में अग्रिम राशि–3,70,000/– दिनांक–10.03.2018 को सामंजन कर लिया गया है एवं योजना सं0–04/2014–15 में अग्रिम राशि–2,00,000/– दिनांक–17.02.2018 को सामंजन कर लिया गया है। शेष अग्रिमो की राशि को संबंधित खाते में जमा कराने/सामंजन कराने हेतु कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया है। दिये गये निर्देश की छाया प्रति ऐनेक्चर–09 दृष्तव्य।	
कंडिका सं0–10	अग्रिम पंजी का संधारण कराया जा रहा है। माननीय तत्कालीन सभापति महोदय को दी गई अग्रिम राशि के समायोजना हेतु पत्र दिया गया है, (छाया प्रति एनेक्चर–10 द्रष्टव्य) अग्रिम सामंजन होते है। अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।	
कंडिका सं0–11	नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों की कमी और कार्यो की अधिकता के कारण मोबाइल टावरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। उपलब्ध कर्मचारियों से ही मोबाइल टावरों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण के कार्यो में प्रगति लाने को लिए प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मोबाइल टावरों के कम्पनी को नोटिस भेजा गया है। आने वाले दिनों में मोबाईल टावरों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य में प्रगति लायी जायगी। इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी को दी गई आदेश की छाया प्रति एनेक्चर–11 द्रष्टव्य।	
कंडिका सं0–12	बकाये दुकान किराये की वसूली में प्रगति लायी गई है। वित्तीय वर्ष–2017–18 एवं 2018–19 में दुकान किराया वसूली में लायी गई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन एनेक्चर–12 दृष्टव्य। और प्रगति लाने हेतु संबंधित कर्मचारियों को दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्चर–13 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–13	सेवा कर की वसूली नहीं किये जाने के संबंध में कहना है कि पूर्व के किसी भी अंकेक्षक दल द्वारा भारत सरकार के फाईनेंस एक्ट 1994 के धारा 65 बी के उपबंध 22, 44 और धारा 65 ई के अनुसार सेवा कर की वसूली करने के संबंध में ध्यान आकृष्ट नही कराया गया, जिसके कारण वसूली नही की गई है। सेवा कर लगाने के संबंध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।	
कंडिका सं0–14	बकाये जमीन किराये की वसूली में प्रगति लायी गई है। वित्तीय वर्ष–2017–18 एवं 2018–19 में दुकान किराया वसूली में लायी गई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन एनेक्चर–14 दृष्टव्य। और प्रगति लाने हेतु संबंधित कर्मचारियों को दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्चर–15 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–15	नगर परिषद बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय सभापति महोदय को वाहन उपलब्ध कराया गया है। अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्ति के आलोक में विचार करने हेतु इस विषय को बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में प्रधान सहायक को दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्सचर–16 दृष्टव्य।	
कंडिका सं0–16	1. श्री रामबाबू मिश्र, कर संग्रहक के पास दिखाया गया राशि – 2,25,235/– रू0 गलत है। यह राशि 2,25,175/–रू0 होना चाहिए। उक्त वकाये में रसीद सं0–3301 से 3325 तक की राशि–59,500.46 रू0 दिनांक–07.12.2018 को अन्य रसीदो की राशि–2,20,845.54 रू0 मिला कर कुल 2,80,346/– रूपया जमा कराया गया है। पुनः 07.01.2019 को रसीद सं0–3326 से 3361 तक की कुल राशि–1,73,178.00 रू0 जमा कराया गया है। इस प्रकार श्री रामबाबू मिश्र के द्वारा कुल–2,32,678.46 रू0 जमा कराया गया	

	है। जिसमें रसीद सं0–3349 की राशि–8424.60 रू0 शामिल है।(अंकेक्षण आपत्ति परिशिष्ट–11 में दर्शायी गई राशि–8,426.82 गलत है) श्री रामाबाबू मिश्र के पास बची शेष राशि–920/–रू0 जमा कराया जा रहा है। जमा कराई गई उपरोक्त दोनो राशि का चालान ऐनेक्चर–17 दृष्टव्य। 2. विजय कुमार के द्वारा 77,070 रू0 दिनांक–04.03.2019 को नगर परिषद के पी0एल0 खाता में जमा करा दिया गया है। जिसका चालान की छाया प्रति एनेक्चर– 18 दृष्टव्य है। 3. श्री रामाशंकर मिश्र के द्वारा 6,06,230/– रू0 में 17.04.2018 को क्रमशः 5,31,469.00 रू0 40,000.00 कुल–5,71,469.00 रू0 जमा करा दिया गया है। शेष 34,761/– रू0 चार किस्तो में उनके पेंशन से कटौती कर नगर परिषद कोष मे जमा करा दिया जायगा। जमा कराई गई उपरोक्त दोनो राशि का चालान ऐनेक्चर–19 दृष्टव्य। शेष राशि उनके पेन्सन से कटौती हेतु विपत्र लिपिक एवं प्रधान सहायक को दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्सचर 20 दृष्टव्य।	

टिप्पणी में दिये गये निर्देश के आलोक में पंजी/अभिलेख संधारण हेतु प्रधान सहायक को दिये गये आदेश की छाया प्रति एनेक्सचर–21 दृष्टव्य।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

28.5.19